कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,म0प्र0शासन राजस्व विभाग, जिला–गुना

अधिसूचना

क्रमांक 28 /भू–अर्जन/सुठालिया परि/2021 गुना, दिनांक 05-02-2021 सुठालिया सिचांई परियोजना निर्माण अंतर्गत गुना जिले की तहसील मक्सूदनगढ के ग्राम खैराड, रघुनाथपुरा,राजपुरा,कांदीखेडा एवं तेजाखेडी की भूमि डूब में आने से नवीन भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार भू–अर्जन कार्यवाही की जा रही है । उक्त परियोजना के डूब क्षैत्र में भूमि–अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होंने की संभावना को ध्यान में रखते हुये प्रभावित होंने वाले व्यक्तियों ,कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को प्रक्रिया व रीति से किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना राघौगढ जिला गुना को परियोजना प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

प्रशासक उक्त परियोजना के अन्तर्गत राज्य शासन,समुचित सरकार तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण ,निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानीटरिंग कार्य करेंगे ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(कुमार पुरूषोत्तम)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
राजस्व विभाग जिला–गुना म.प्र.